राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1061/2024

आदित्या –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), बीकानेर।
4. दौलाराम बाजिया (तहसीलदार) तहसील उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
5. जालम सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, केविएटर
निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर तहसील पूगल, जिला बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप–पंजीयक ब्यावर कर दिया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं बिना जनहित के समंजित करने के आशय से किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 25.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। इससे पूर्व प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार राजस्व मण्डल अजमेर से तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर किया गया था। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 112 पर है अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में 2011 में नियुक्ति दी गई।

तत्पश्चात अपीलार्थी के कई बार स्थानान्तरण किए गये। अपीलार्थी का अभिकथन है कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बीकानेर देहात द्वारा दिनांक 15.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर करने की एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण पूगल करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी का नया पदस्थापित स्थान वर्तमान स्थान से 450 कि.मी. दूर है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 दुर्भावनापूर्ण बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं बिना जनहित एवं बिना अपीलार्थी के निवेदन के मात्र राजनैतिक आधार पर जारी किया गया है। अतः आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.08.2023 (सही तिथि 22.02.2024) अपास्त योग्य है। आलौच्य आदेश मनमाना, अवैध, बिना विवेक का उपयोग किए मात्र निजी प्रत्यर्थी को समंजन करने हेतु जारी किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय कुमार शर्मा के प्रकरण के पूर्णतः समान है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अगस्त, 2023 से कार्यरत है एवं उसने स्थानान्तरण हेतु कोई आवेदन नहीं किया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 6 माह की अल्पावधि में किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 4660/2022 संतोष कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 एवं अपील संख्या 2133/2022 बलवीर मंडा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.08.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अंतरिम स्थगन प्रदान किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 25.02.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने स्वयं का पता पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर शपथ पत्र में अंकित किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश/गाईडलाईन दिनांक 21.12.2023 एवं 23.02.2024 में निर्देशित किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर/एआरओ यदि गृह जिले में पदस्थापित है तो उनका स्थानान्तरण किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य स्थानान्तरण आदेश चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जारी किया है। अतः अपील खारिज योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील पूगल, जिला बीकानेर से उप–पंजीयक ब्यावर किया गया है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पांच माह की अल्पावधि में किया गया है चूंकि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2023 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित है, जिसे लगभग 7 माह हो चुके है। अपीलार्थी एक राजपत्रित अधिकारी है, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक आधार पर कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–आर/1) के अनुसरण में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या–4 जिला नीमकाथाना में पद विरूद्ध पदस्थापित था, जिसे विभाग द्वारा पद पर तहसीलदार पूगल जिला बीकानेर में पदस्थापित किया गया है, जो कि नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत, जनहित में लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत जारी किया गया है इसमें कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना निहित नहीं है। अपीलार्थी लगभग 7 माह से पूगल में पदस्थापित है। अपीलार्थी ने जिला अध्यक्ष भाजपा देहात बीकानेर के पत्र प्रस्तुत कर राजनैतिक द्वेषता के आधार पर स्थानान्तरण करने का निवेदन किया है, जो गलत है। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश उक्त पत्र के आधार पर जारी नहीं किया गया है। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त पत्र विभाग में प्राप्त हुआ है एवं इस पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही की गई हो। आलौच्य आदेश राजनैतिक दृष्टि से जारी नहीं किया गया है। पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकतओं के दृष्टिगत जारी किया गया है। अतः अपील निरस्त करने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपीलार्थी को तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर से उप–पंजीयक ब्यावर पदस्थापित किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को तहसीलदार उदयपुरवाटी, नीमकाथाना (पद विरूद्ध) से तहसील पूगल, जिला बीकानेर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश इस आधार पर निरस्त करने का निवेदन किया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने की दृष्टि से बिना प्रशासनिक आवश्यकता और बिना जनहित के राजनैतिक आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है और अपीलार्थी को दिनांक 25.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है। अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बीकानेर देहात का पत्र (अनुलग्नक–4) अपील पर प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अगस्त, 2023 से कार्यरत है। अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना एवं निजी प्रत्यर्थी द्वारा तहसील पूगल में कार्यग्रहण किया जाना उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित है। अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन उनके पद अनुरूप किया गया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जारी किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का गृह जिला बीकानेर है। प्रस्तुत अपील एवं उसमें प्रस्तुत शपथ पत्र में भी

अपीलार्थी ने गृह जिला बीकानेर अंकित किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जारी आदेश दिनांक 23.02.2024 में यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव से सीधे जुडे अधिकारियों को उनके गृह जिले में पदस्थापित नहीं रखा जावे। उक्त आदेश जिन पदों के संबंध में लागू किया गया है उनमें तहसीलदार का पद शामिल है एवं लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ पद है। अतः चुनाव आयोग के निर्देशों के दृष्टिगत लोकसभा चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों को गृह जिले में पदस्थापित रखा जाना संभव नहीं है। यद्यपि अपीलार्थी ने बहस के पश्चात एक अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत कर उस के साथ सेवाभिलेख एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। सेवाभिलेख में निवास स्थान हरमाड़ा जयपुर अंकित है एवं मूल निवास प्रमाण पत्र में मीण्डा तहसील नावां जिला नागौर अंकित है। जबकि अपीलार्थी ने उक्त प्रस्तुत अतिरिक्त शपथ पत्र में भी खुद को बीकानेर निवासी बताया है एवं अपील एवं उसमें प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित जिला बीकाने का निवासी होने के तथ्य का खंडन नहीं किया है। अपीलार्थी को समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात आलौच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। निजी प्रत्यर्थी द्वारा तहसील पूगल में कार्यग्रहण किया जा चुका है। जहां तक आलोच्य आदेश राजनैतिक द्वेषता/आधार पर पारित होने का विषय है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह प्रमाणित हो कि जिला अध्यक्ष भाजपा देहात बीकानेर का पत्र प्रत्यर्थी विभाग में पंहुचा हो एवं उसके आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया है। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश एक सामान्य आदेश है। जिसमें 212 अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन लोकहित में प्रशासनिक कारणों से किया गया है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क मानने का कोई आधार नहीं है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2133/2023 बलवीर मंडा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में अंतरिम स्थगन इस आधार पर दिया गया है कि प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिबंध अवधि में एपीओ किया गया। जबकि हस्तगत अपील के तथ्य इससे भिन्न है। अधिकरण की अपील संख्या 4660/2022 में जारी अंतरिम स्थगन आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की आचार संहिता प्रभावी की जा चुकी है एवं आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार लोकसभा क्षैत्र बीकानेर में निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 20.03.2024 से जारी होकर विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होना नियत है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में हम आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य